Sh. M. C. Shawleyer J.D. Shaws

FORM-II (for projects other than linear projects) - 26/9713 Government of H.P.

Office of the District Collector

No. SML-SR(57)/2016- 1080

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-98-77 hect. of forest land proposed to be diverted in favour of the Secretary, APMC, Dhalli, Shimla-171012 for construction of Subzi Mandi at Mehandali Tehsil Rohru District Shimla (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within iurisdiction of Rohru Tehsil.

It is further certified that:-

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has (a) been carried out for the entire 0-98-77 hect. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to

the proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. (b) In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram

Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.

the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and they have given their consent to the croposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any wing understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of Entificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure 1 to

the discussion and decision on such proposals had taken place only when there

a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

diversion of forest land for facilities managed by the Government as required fider section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA

Encl: As above

(c)

(Metrict Collectorus) Signature (Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMSSIONER, SHIMLA DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 08-09-2016. at 4.00 P.M Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, Mehandali claiming Village forest area(s) 0-98-77 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Rohru were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No. Name of Applicant

Name of Forest

Detail of forest Right

--Nil-

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No. Name of Applicant

Name of Forest

Detail of forest Right

--Nil--

OR

informed by SDO (Civil) Rohru, no application was received from Gram Sabha right in 0-98-77 hect. forest area.

Place: Shimla

Date: 08-09-2016

Deputy Ciamics & Shimla i

No.RHU/RDR/2016......1667
Office of the Sub-Divisional Officer (Civil)
Rohru, District Shimla Himachal Pradesh

Dated Rohru the

5 September, 2016

To

The Deputy Commissioner

Shimla

250273

Subject:-

Proceeding of the meeting of Sub-Divisional Level Committee under Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Right) Act,2006 regarding construction of Subzi Mandi Rohru at Mehandali.

Sir,

On the subject cited above it is submitted that meeting of Sub-Divisional Level Committee was called for the construction of Subzi Mandi (APMC Rohru) at Mehandali, Tehsil Rohru, District Shimla H.P. A copy of proceeding and recommendation alongwith others relevant documents are being sent herewith for your kind perusal and further necessary action please.

Yours faithfully

(Y.P.S Verma), HAS

Sub-Divisional Officer (Civil) Rohru, District Shimla H.P.

Phone:- 01781-240009

Fax:- 01781-220009

(OFFICE OF THE SDO CIVIL), --- ROHRU DISTRICT--S-HIMLA--- (H.P.)

Proceeding of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right (Act (FRA) 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:-

Name of Applicant Name of Forest Detail of forest Right

Gransabha Bauchhung 0-98-77 Heat Closuboi Manch Rehry

Zhair Rohm

Alme at Mehandeli

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No Name of Applicant Name of Forest Detail of forest Right

No Claims received


As informed by ----- Gram Sabha on application was received claiming rights in 0-18-17-Halforest area was secured claiming rights

lace: Al.

Place: RShim, Sabretary
Date: 19-8-2016 Agricultural Produce Market

gricultural Produce Market Colombe (Civil)-clim-Chairman, Chairperson himla & Happer Rohm, Wich Struck HA

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said lorest area.



प्रस्ताव संख्या 9/16

Barres 24-07-2016

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा व्यान्धिना की बैठक आज दिनाक 24-07-2016 को । बज स्थान छ-६ । में श्री श्रीमति कि वर्ग क्या जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मृत्यूनी) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत के निमाण के लिए -98-77 हैक्ट्यर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है।)वन अधिकारों के लिए दावे हेतू प्राप्त हुए गाव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के प्रस्तावी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

07500

*पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का व्यौरा

2

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावें / इन दावों के। पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया :-

क0स0

दिनांक

*पात्र गांव वासी का नाम

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों का पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

Raw oth स्थान

अधीक्षा हम्बादकर्ता

राजस्व मौहाल बन्छ्ना तह्0 रोहडू जिल्ला शिमला हित पत का

🚎 अधिकार समिति

ग्रीम प्रमान बोहाल बन्द्रका पर्वा तान्छ रोहडू जिला श्रिमला हिए प्रकृ

^{*} ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए

^{**} प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसक लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्पुरगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 ग्राम सभा 🥞 हिन्दी)

प्रस्ताव संख्या 9116	दिनांक्ट्री भू हो-
ग्राम सभा लिन्द्रना की बैठक आज दिनांक 24-67-50मि की गई जिसमें किन्द्रना में श्री भीमिन कि विश्व जनजाति और वन निवासी (वर्न अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006, के अन्तर्गत महिन्द्रता की क्षेत्र में (जिसमें कि कि विभाग द्वारा कि गज़री प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिसमा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदेन गई। वन अधिकारों के के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर वि उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया-	अध्यक्षता में की अन्य परम्परागत ंगंगल / वन के निर्माण के ए दावे हेतू ग्राम पर चर्चा की रस्तृत चर्चा के
क0सं0 *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार व 1 2	ज्ञ व्यौरा
तवानुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों का पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की प्रेषित करती है।	समिति को
उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया :-	
क0सं0 *पात्र गांव वासी का नाम 1 2 तदानुसार ग्राम सभा इस दावे इन दावों को निरस्त करती है।	
या	
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंग में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ। स्थान प्राप्त प्राप्त नहीं हुआ। स्थान प्राप्त स्थान प्राप्त नहीं हुआ। स्थान प्राप्त सहित जंग का	Short office

^{*} ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

^{**} प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसक लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमित दी जानी है।

अनुस्चित जनजाति और अन्य परम्परगत तन कि	Annexture-V वासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006	
गाम क्रा	वासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २०००	
विकास खण्ड 🗬		
e) Es	जिला /भी के अपने (विकार)	
ग्राम सभा अधिनयम, 2006 विकास खण्ड प्रह जिला कि जिला (हि०प्र०)		
गणपूर्ति 🔭 🔠	विमांक 2 4-07-2016	
	प्रस्ताव संख्या 9/16	
Box Host not		
के निर्माण हत् 0	ताग/संस्था को प्राप्त मिल हैं मेर्न जंगल/ वस क्षेत्र हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग	
की मंजरी के किया	जंगल / वन क्षेत्र	
र पर पर सहमात प्रदान करने हेतू।	हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग	
थ्राम सभा व्यक्ति	की बैठक आज दिनांक	
ARM Сविभाग / संस्था को त	की बैठक आज दिनांक	
जंगल वन क्षेत्र में प्रस्तावित १९	के निर्माण हेतू	
राष्ट्र तहनात प्रदान करने पर चर्चा की गई है।	र प्रियर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के	
सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भू	मि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी नया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्राचार के कि	
दिए जाने पर सहमत है।	मि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी नया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि	
•	माम	
गाम सभा की हम कैनक के		
मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसूचित जनजाति	और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की रों के दावों के निपटारें पर भी चर्चा की गई तथा सर्व	
सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त उ	रों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे	
संस्था अध्येश पर का ता उसे भे	० , भाग अभिकारा के नाने -> ० ,	
सहमति दी जाती है।	तो है तथा प्रस्तावित कि निपटारे योग के लिए ग्राम सभा किट्यू वन	
Phur die	& E tou	
Rental Social	Shari Dotter	
	मुन्त हार्यसार कार्यत	
	तह0 रोहरू जिला शिमला हिए पा	

ंद ने १८

77

d

हें 96

वंन अधिकार समिति राजस्व मौहाल बन्छना

प्रधान श्री कृष्ण लाल कामटा मो० 94180.12774 तहसील रोहडू जिला शिमला हि0 प्र0 कोषाध्यक्ष श्री लाहौरी सिंह मो0 94590.91818

सिवं श्री प्रशान्त दता

मो० 96253.05200

सलाहकार भगवान सिंह चौहान भो0 94189.35387

सदस्य हस्ताक्षर जयपति कामटा उभागित मो0 97362.16005 सूरमा देवी मोत राकेश मजटा मो० जगदीश थारटा Loter Duth लोकेश मो0 98168.94510 Nirota निरोता देवी मो0 78319.09761 32411 उमा देवी मो0 सारमासह सोहन सिंह मो0 94185.79675 धर्म सिंह मो0 88940.79232 अनुज लुटा केम्प्रोक्षिप मो0 78075.00058 सुषमा मजटा

बलबीर सिथटा

मो0 94189.48212

Paravti

राधा वर्ती -

पार्वती

विनामाय

संख्या 4/2016

दिनांक 24-07-2016

दिनांक 24-07 - 2016 की वन अधिकार स्मीति श्जरूच माधेल बन्हुमा की बैठक श्री क्रिका लाल कामंद्रा प्रधान वन अधिकार स्मीति की अध्यथाता में सम्मन्न हुई जिसमें विशेष कम से यह प्रस्ताय मारित किया गया -स्विश्ममित ही महेन्दली (यक बन्हुमा) में सरकार द्वारा ययनित की गई भूमि मर बनने वाली सन्जी मण्डी के निर्माण में किसी मकार की आमत्ति कै मास किसी भी व्यक्ति की किसी म्मीति के मास किसी भी व्यक्ति की किसी



Howhun